कार्यालय सूर्य उदय महिला कलस्टर संगठन चिपावण्ड

ग्राम – चिपावण्ड, जनपद पंचायत – कोण्डागांव, जिला – कोण्डागांव (छ0ग0)

पत्र क्र0 / 87 / सू0उ0म0क0चि0 / 2024–25 चिपावण्ड, दिनांक 23 / 11 / 2024

/ / आई0एफ0सी0 (I.F.C.) एंकर भर्ती विज्ञापन / /

एकीकृत फार्मिंग कलस्टर अंतर्गत आई.एफ.सी. (IFC) एंकर ग्रामीण क्षत्रों के आजीविका संवर्धन हेतु फार्म, एवं नॉन फॉर्म आजीविका विभिन्न कार्य जैसे एग्रो इकोलॉजिकल पद्धति, मिट्टी के स्वास्थ्य और जल स्तर में सुधार, फसल विविधीकरण और उत्पादकता में सुधार एवं एग्रीन्यूट्री गार्डन के माध्यम से पोषण में सुधार, पशुधन प्रबंधन व नस्ल में सुधार, समय पर पशु चिकित्सा देखभाल और टीकाकरण को अपना कर महिला स्व सहायता समूह सदस्यों मुख्यतः महिला किसानों एवं पशुपालकों के आजीविका स्तर में बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत सूर्य उदय महिला संकुल संगठन चिपावण्ड, वि0खं0 एवं जिला कोण्डागांव, छ0ग0 को क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में चयनित किया गया है। इस कार्य के संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु आई.एफ.सी. (IFC) एंकर की भर्ती की जानी है। उक्त आई.एफ.सी. (IFC) एंकर की भर्ती पूर्णकालिन के लिए ही होगी, यह भर्ती पूर्ण रूप से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान अंतर्गत गठित सूर्य उदय महिला संकुल संगठन चिपावण्ड के स्वामित्व के अधीन होगी। इसका किसी भी शासकीय, अर्द्धशासकीय, निजी संस्था से कोई संबंध नहीं है।

आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 25.11.2024 व अंतिम तिथि 05.12.2024 तक शाम 05.00 बजे तक केवल पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से पता कार्यालय सूर्य उदय महिला संकुल संगठन चिपावण्ड, वि0खं0 एवं जिला कोण्डागांव, छ0ग0 के पते पर आमंत्रित किया जावेगा, ई–मेल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से स्वीकार नहीं किये जावेंगे। अंतिम तिथि के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदनों को स्वयंमेव निरस्त माना जावेगा। **पूर्व में जारी विज्ञप्ति पत्र क्र0 / 168 / सू0उ0म0सं0स0 / चिपावण्ड 2023–24 दिनांक 31.01.2024 को निरस्त करते हुए भर्ती हेतु पुनः आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है।**

आई.एफ.सी. एंकर पद संख्या 01 (अनारक्षित) हेतु आवश्यक अर्हता, मापदण्ड, मानदेय व यात्रा भत्ता का विवरण :–

क्र0	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	न्यूनतम कार्यानुभव (वर्ष)	एकमुस्त मासिक मानदेय (रू.में)	यात्रा भत्ता (रू.में)	वांछित अर्हता
1	2	3	4	5	6
1	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि, उद्यानिकी, व संबंधित विषय में स्नातक उपाधि एवं एम0एस0डब्ल्यू	निर्धारित शैक्षणिक अर्हता उपरान्त फील्ड स्तर पर कृषि एवं गैर–कृषि, पशुपालन आधारित आजीविका कार्य का न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव	30000.00	3000.00	1. यदि कॉलम 2 एवं 3 अनुसार उम्मीदवारों की अनुपलब्धता होती है, तो शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नियमित स्नातक डिग्री के साथ ग्रामीण स्तर एवं कृषि संबंधित कार्य का 01 वर्ष का अनुभव वांछित। 2. ग्रामीण परिपेक्ष्य एवं मार्केटिंग में कार्यानुभव को प्राथमिकता। 3. हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में कार्य करने में सक्षम, साथ ही स्थानीय भाषा का ज्ञान हो। 4. कम्प्यूटर एवं एम.एस. ऑफिस (एम.एस. वर्ड / एक्सेल) एवं हिन्दी व अंग्रेजी टाईपिंग आती हो। 5. रिपोर्ट लेखा एवं डेटा प्रबंधन में दक्षता। 6. क्षेत्र भ्रमण के लिये आवश्यक समस्त दस्तावेज सहित स्वयं का वाहन (दो पहिया) हो।

सामान्य निर्देश :–

1. आयु सीमा – अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 21 वर्ष से अधिक तथा 45 वर्ष से कम हो।
2. निवासी – छ0ग0 राज्य / कोण्डागांव जिले का मूल निवासी हो।
3. आई.एफ.सी. (IFC) एंकर के मानदेय को नोडल सीएलएफ द्वारा प्रावधानिक आई.एफ.सी. बजट से जारी किया जावेगा।
4. चयन प्रक्रिया के नियम एवं शर्तें मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जावेगा।
5. आई.एफ.सी. (IFC) एंकर की नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होगी जिसे परियोजना के आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष कार्य मूल्यांकन के आधार पर उम्मीदवार के कार्य अवधि में आगामी वर्ष हेतु बढ़ोत्तरी की जा सकती है। यदि संकुल स्तरीय संगठन (CLF) चाहे तो अपने उपलब्ध फण्ड (IFC) के अतिरिक्त नियुक्ति अवधि बढ़ा सकता है।
6. मूल्यांकन समिति का निर्णय सर्व मान्य होगा।
7. आई.एफ.सी. (IFC) एंकर की नियुक्ति उपरान्त परवीक्षा अवधि न्यूनतम 01 माह की होगी। उक्त अवधि में कार्य मूल्यांकन उपरान्त 11 माह के लिये नियुक्त अवधि बढ़ायी जायेगी। साथ ही नियुक्ति उपरान्त 01 वर्ष पूर्ण होने पर सी.एल.एफ. अंतर्गत गठित समिति द्वारा कार्य की समीक्षा के आधार पर विभिन्न में न्यूनतम 75 प्रतिशत स्कोर प्राप्त करने पर नियुक्ति आगामी 01 वर्ष के लिये बढ़ायी जा सकती है।
8. ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में सेवा अनुशासनहीनता / अनुचित व्यवहार / स्वेच्छाचारिता या अनियमितता के आधार पर छत्तीसगढ़ आजीविका संवर्धन समिति से अथवा अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा किसी भी पद से पृथक किया गया हो, चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। गलत जानकारी दिये जाने पर उम्मीदवारी को निरस्त मानी जावेगी।
9. अपूर्ण / अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र का निरस्त कर दिया जावेगा एवं कोई सूचना नहीं दी जायेगी।
10. आवेदक जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियूक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
11. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही पति / पत्नि जीवित हो, पात्र नहीं होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है। यदि शासन को इस बात की समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंद से छूट दे सकता है।
12. पदों की संख्या में परिवर्तन संभावित है।
13. यदि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
14. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार नियुक्तिकर्ता क्लस्टर संगठन के पास सुरक्षित होगा।

भानमती बघेल रसबती Seema

अध्यक्ष / सचिव / कोषाध्यक्ष

सूर्य उदय महिला संकुल संगठन चिपावण्ड
वि0ख0 एवं जिला कोण्डागांव

पृ0 क्रमांक पत्र क्र0 / 88 / सू0उ0म0क0चि0 / 2024–25 चिपावण्ड, दिनांक 23 / 11 / 2024

प्रतिलिपि :–

1. राज्य मिशन संचालक SRLM विकास आयुक्त कार्यालय, अटल नगर नया रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर कोण्डागांव, जिला कोण्डागांव को सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोण्डागांव को सादर सूचनार्थ।
4. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ कर लेख है कि संलग्न विज्ञापन को जिले के वेबसाइट में अपलोड कराने का कष्ट करेंगे।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कोण्डागांव को सादर सूचनार्थ।

भानमती बघेल रसबती Seema

अध्यक्ष / सचिव / कोषाध्यक्ष

सूर्य उदय महिला संकुल संगठन चिपावण्ड
वि0ख0 एवं जिला कोण्डागांव

ग्राम-चिपावंड